न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी, मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर0ए0एस0)

प्रकरण सख्या:— 87/2024(प्रार्थना पत्र)

दायर दिनांक:— 24/07/2024

निर्णय दिनांक:—14/01/2026

अनवान

1. लक्ष्मणसिंह पिता उदयसिंह जाति राजपूत निवासी पानड़ी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

———प्रार्थी

बनाम

1. भोपालसिंह उर्फ भुपालसिंह पिता सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी पानड़ी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. गोकलसिंह पिता रायसिंह जाति राजपूत निवासी पानड़ी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. जीवनसिंह पिता रायसिंह जाति राजपूत निवासी पानड़ी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. लाडकंवर पत्नी रायसिंह जाति राजपूत निवासी पानड़ी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. प्रेमकंवर पुत्री रायसिंह पत्नी जगदीशसिंह जाति राजपूत
6. अन्नुकंवर पुत्री रायसिंह पत्नी घीसुसिंह जाति राजपूत निवासी पानड़ी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द हाल निवासी गुडा श्यामा तहसील सोजत जिला पाली
7. मुन्नाकंवर पुत्री रायसिंह पत्नी धनसिंह जाति राजपूत निवासी पानड़ी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द हाल निवासी सरवार तहसील सोजत जिला पाली
8. नैनाकंवर पुत्री रायसिंह पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत
9. रेखा कंवर पुंत्री रायसिंह पत्नी चेनसिंह जाति राजपूत निवासी पानड़ी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द हाल निवासी जेतिंगजी का गुड़ा तहसील सोमेशर जिला पाली
10. मांगुकुंवर पुत्री उदयसिंह पत्नी नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी पानड़ी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द हाल निवासी बासनी तहसील मारवाड़ जक्शन जिला पाली
11. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार, देवगढ़ जिला राजसमन्द

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

::निर्णय::

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का पेश किया । प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वर्तान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी/वादी

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला—राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जि. राजसमन्द (राज.)

ने उक्त अनवान का एक वाद विभाजन भूमि घोषणा एवं निषेधाज्ञा का आप न्यायालय में पेश किया था, जिसके मुकदमा नम्बर 15/14 रे.वाद है। प्रार्थी ने उक्त अनवान का वाद पेश कर रखा था, जो आप न्यायालय में विचाराधीन था एवं उक्त वाद मे वादी द्वारा साक्ष्य में अपने गवाह पेश किये थे एवं विपक्षीगण द्वारा भी साक्ष्य में गवाह पेश किये गये थे। तत्पश्चात् उक्त पत्रावली बहस हेतु नियत की गई थी एवं वादी को अधिवक्ता द्वारा कहा गया था कि बाद बभी बह समे है, जब भी आपकी आवश्यकता होगी तब में आपको बुला लूगा। जिस पर वादी को लगा कि जब भी मेरी जरूरत होगी तब वकील साहब मुझे बुला लेगे। वादी अधिवक्ता से सम्पर्क में रहता एवं अधिवक्ता से आगे की पेशी के बारे में पुछता तो अधिवक्ता कहते कि मैं बाद में बता दूंगा। वादी द्वारा अपने अधिवक्ता को तारीख पेशी के बारे मे बार बार पुछने पर भी अधिवक्ता द्वारा वादी को पेशी की कोई जानकारी नही दी एवं वादी को कहा कि जब भी फाईल मे आपकी आवश्यकता होगी तब मै आपको बुला लूंगा, वादी विश्वास मे रह गया कि जब भी पत्रावली मे मेरी आवश्यकता होगी तब वकील साहब मुझे बुला लेगें, वादी द्वारा अपने अधिवक्ता को उक्त तारीख पेशी के बारे मे बार बार पुछने पर भी कोई जवाब नही दिया एवं न ही तारीख पेशी के बारे मे बताया तब वादी स्वयं द्वारा दिनांक 18.06.2024 को आप न्यायालय से उक्त वाद की तारीख पेशी के बारे में जानकारी की तो वादी को ज्ञात हुआ कि उक्त वाद दिनांक 27.03.2024 को अदम हाजरी, अदम पैरवी मे खारीज कर दिया गया है। वादी के अधिवक्ता द्वारा उक्त वाद के सुनवाई की तारीख पेशी की जानकारी वादी को नहीं दी गई थी, इसलिए दिनांक 27.03.2024 को वादी आप न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका, क्यो कि उक्त दिनांक को वाद की सुनवाई की जानकारी वादी को नही थी। वादी द्वारा उसी दिन दिनांक 18.06.2024 को उक्त पत्रावली की नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी प्रमाणित प्रति दिनांक 20.06.2024 को वादी को प्राप्त हुई। जब कि उक्त वाद खारीज होने की जानकारी वादी को शुरू से ही नही थी। क्यो कि तत्कालीन अधिवक्ता द्वारा वादी को उक्त वाद के संबंध मे सुनवाई की कोई जानकारी नही थी न ही उक्त वाद के खारीज होने की जानकारी दी थी। वादी यही समझ रहा था कि मेरा वाद न्यायालय में चल रहा है एवं जब भी जरूरत होगी तब वकील साहब बुला लेगें। उक्त वाद के अदम पेरवी अदम हजारी मे खारीज होने की जानकारी प्राप्त होते ही बिना किसी विलम्ब के यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी द्वारा जानबुझ कर किसी प्रकार की लापरवाही या भूल नहीं की है, इसलिए प्रार्थी ६ वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वाद पत्र को पुनः रेकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है। जिससे प्रार्थी/वादी को न्याय मिल सके। प्रार्थना पत्र मुल्याकंन 100/- रूपये कायम किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि पेश है। वादी का वाद खारीज होने की जानकारी वादी को नही थी, न ही वादी के अधिवक्ता उक्त वाद के खारीज होने की जानकारी दी थी। वादी स्वयं द्वारा दिनांक 18.06.2024 को आप न्यायालय मे स्वयं उपस्थित होकर पत्रावली की जानकारी करने पर एवं आप न्यायालय से नकले प्राप्त करने पर वाद के खारिज होने की जानकारी हुई। वादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने मे जानबुझ कर कोई लापरवाही नही की गई है. जानकारी होते ही यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में पेश किया जा रहा है। फिर भी विलम्ब के लिए प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जि. राजसमन्द (राज.)

संख्या 2 श्रीमती जसवन्तकुंवर बेवा उदयसिंह जी की मृत्यु हो जाने से उन्हे इस प्रार्थना पत्र मे पक्षकार नही बनाया गया है, जसवन्तकुंवर के वारिसान के रूप में प्रार्थी लक्ष्मणसिंह एवं विपक्षी संख्या 10 मांगु कंवर है। प्रतिवादी संख्या 2 रायसिंह पिता जसवन्तसिंह की मृत्यु हो जाने से उनके वारिसान विपक्षी संख्या 2 से 9 को पक्षकार बनाया गया है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद पत्र को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को प्रार्थना–पत्र के सम्मन जारी किए गये। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। विशेष उत्तर में उल्लेख किया कि प्रार्थी द्वारा परिसीमा बाधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है प्रार्थी को समस्त तथ्यों की जानकारी थी एवं प्रार्थी वादी को कैसे जानकारी हुई यह स्पष्ट नहीं है इसलिए प्रार्थना–पत्र निरस्ती योग्य है। वाद के पक्षकार के अलावा उनके बिना विधिक पक्षकार रिकॉर्ड पर लिए पक्षकार बना दिए गए है जो कानूनीन विपरीत है बिना मूल वादी को नम्बर पर लिए प्रार्थना पत्र लगाये, बिना पक्षकार न्यायालय द्वारा बनाये उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बन सकते। इसलिए प्रार्थना–पत्र काबिल निरस्ती योग्य है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 से लगायत 09 की ओर से पृथक से जवाब प्रस्तुत नहीं करके अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत जवाब को ही अप्रार्थी संख्या 02 से लगायत 09 की ओर से मानने का निवेदन किया है। अप्रार्थी संख्या 10 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 10 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 11 भूमिधारी होने से अप्रार्थी संख्या 11 से जवाब अपेक्षित नहीं रहा।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्धान प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में तर्क दिया कि प्रार्थी को पेशी दिनांक 27.03.2024 की पेशी दिनांक की जानकारी वादी के पूर्व अधिवक्ता ने नहीं दी। प्रार्थी पूर्णतः अपने अधिवक्ता पर निर्भर था तथा अधिवक्ता द्वारा सूचना नहीं दिए जाने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। वाद खारिज होने की जानकारी मिलते ही प्रार्थी ने बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी की ओर से किसी प्रकार की जानबूझकर लापरवाही या दुर्भावना नहीं की गई। वाद का निस्तारण मेरिट पर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। दौराने बहस विद्धान अप्रार्थी अधिवक्ता ने अर्ज किया प्रार्थना पत्र परिसीमा अवधि के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी को वाद की संपूर्ण जानकारी थी, अतः अधिवक्ता पर दोषारोपण अस्वीकार्य है। वाद में कुछ पक्षकारों की मृत्यु हो चुकी है, जिनके विधिक प्रतिनिधियों को समय पर प्रतिस्थापित नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

विद्धान उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर आया कि प्रार्थी का वाद दिनांक 27/03/2024 को प्रार्थी की अनुपस्थिति में खारिज हुआ। प्रार्थी द्वारा शपथपूर्वक यह तथ्य स्थापित किया गया है कि प्रार्थी को पेशी दिनांक की जानकारी

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जि. राजसमन्द (राज.)

नहीं थी तथा वाद खारिज होने की जानकारी मिलते ही प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का पेश किया गया। अप्रार्थी का आक्षेप परिसीमा एवं मृत पक्षकारों के प्रतिस्थापन संबंधी आपत्तियां वाद के दर्ज होने के पश्चात् विचारणीय है।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। हमने योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

1. प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–09 के विश्लेषण से पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–09 से संबंधित कानूनी प्रावधानों का उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में भी विश्लेषण आवश्यक है। सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–09 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

   9. Decree against plaintiff by default bars fresh suit.—

   (1) Where a suit is wholly or partly dismissed under rule 8, the plaintiff shall be precluded from bringing a fresh suit in respect of the same cause of action. But he may apply for an order to set the dismissal aside, and if he satisfies the Court that there was sufficient cause for his non-appearance when the suit was called on for hearing, the Court shall make an order setting aside the dismissal upon such terms as to costs or otherwise as it thinks fit, and shall appoint a day for proceeding with the suit.

   (2) No order shall be made under this rule unless notice of the application has been served on the opposite party.

1. माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर न्यायिक दृष्टान्त [Revision/T.A./1956/2006/Bharatpur; decided on 08.02.2024 "दयासिंह व अन्य बनाम हरवंश सिंह व अन्य" में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि :–

   " Civil Procedure Code, 1908-0. 9, R. 9-Limitation Act, 1963-Sec. 5-Plaintiff Jeet Singh filed the suit but dismissed for non-prosecution on 2.11.2000-Plaintiff moved the application for restoration of suit on 24.8.2002-It was pleaded that the litigant should not be suffered for negligence of the lawyer-Jeet Singh died pending application-No abatement of the suit since the suit was not in existence-Application rejected and the Revenue Appellate Authority also dismissed the appeal-LR's. of Jeet Singh moved an application to substitute them in the application and the uit-Plaintiff/petitioners explained the sufficient cause for delay-Held, Order set aside on cost of 3,000/- and the suit is restored."

   Revision allowed.

विद्वान उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर आया कि प्रार्थी का वाद दिनांक 27/03/2024 को प्रार्थी की अनुपस्थिति में खारिज हुआ। प्रार्थी द्वारा

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जि. राजसमन्द (राज.)

शपथपूर्वक यह तथ्य स्थापित किया गया है कि प्रार्थी को पेशी दिनांक की जानकारी नहीं थी तथा वाद खारिज होने की जानकारी मिलते ही प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का पेश किया गया। अप्रार्थी का आक्षेप परिसीमा एवं मृत पक्षकारों के प्रतिस्थापन संबंधी आपत्तियां वाद के दर्ज होने के पश्चात् विचारणीय है।

हस्तगत प्रकरण में समस्त तथ्यों, दोनों पक्षों की बहस, लागू विधिक प्रावधानों तथा माननीय राजस्व मंण्डल के न्यायिक दृष्टान्तों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी द्वारा अपनी अनुपस्थिति हेतु पर्याप्त कारण प्रदर्शित किया गया है तथा न्यायहित में वाद संख्या 15/2014 पुनः नम्बर पर लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 एवं सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 का स्वीकार किया जाकर वाद संख्या 15/2014 रे0वाद को पुनः दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14/01/2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला राजसमन्द